No.CDN-27011/2/2019-CDN-MCA
Government of India
Ministry of Corporate Affairs

5th Floor, 'A' Wing, Shastri Bhavan
Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi-110 001
Dated: 29.10.2019

A copy of the Monthly Summary of the Ministry of Corporate Affairs for the month of September, 2019 is enclosed for information.

(Hemant Verma)
Under Secretary to the Govt. of India
Tele: 23381349

To

All Members of the Council of Ministers

Copy, with enclosures, forwarded to:

1. Director, Cabinet Secretariat, Rashtrapati Bhawan, New Delhi
2. All Secretaries to the Govt. of India
3. Senior PPS to Secretary, Ministry of Corporate Affairs
4. Senior PPS to Additional Secretary, Ministry of Corporate affairs
5. Dir (NIC) - To upload the communication on official website of the MCA

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

IMPORTANT POLICY DECISIONS TAKEN AND MAJOR ACHIEVEMENTS DURING THE MONTH OF SEPTEMBER, 2019

(1) Notifications:-

(i) Pursuant to rule 5 of NFRA Rules, 2018, every auditor of companies/bodies corporate within the jurisdiction of NFRA is required to file a return with the NFRA on or before 30th April every year in such form as may be specified by the Central Government. Through the NFRA (Amendment) Rules, 2019, such rule has been amended on 5th September 2019 to provide that the said Annual Return shall be filed before 30th November every year. The form of Annual Return (Form NFRA-2) which was devised after detailed consultations (including with NFRA), has also been notified through such Amendment Rules. These changes will ensure NFRA having all relevant information about auditors of companies covered within its jurisdiction. (Notification no.G.S.R 636(E) dated 05.09.2019)

(ii) In line with the Government's objective of promoting Ease of Living in the country by providing Ease of Doing Business to law abiding corporates, fostering improved corporate compliance for stakeholders at large and also to address emerging issues having impact on the working of corporates in the country, a Company Law Committee was constituted vide order dated 18.09.2019 for examining and making recommendations to the Government on various provisions and issues pertaining to implementation of the Companies Act, 2013 and the Limited Liability Partnership Act, 2008 and other related matters. The Order of constitution of the Committee is available on the Ministry's website. The first meeting of said Committee was held on 26.09.2019.

(iii) The Companies (Appointment & Qualification of Directors) Rules, 2014 have been amended on 30/9/2019 to provide further time upto 14th October, 2019 to individuals/directors to file the Form DIR-3 KYC or DIR-3 KYC Web for the FY ending 31/3/2019. (Notification dated 30.09.2019)

(iv) The Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014 have been amended on 30/9/2019 to provide further time upto 14th October, 2019 to individuals/directors to file the Form DIR-3 KYC or DIR-3 KYC Web for the FY ending 31/3/2019. (Notification dated 30.09.2019)

(2) CIRCULARS:-

Through the General Circular dated 24/09/2019, the Ministry has also allowed additional period upto 31st December, 2019 to stakeholders to file BEN-2 without additional fees. Consequential additional period for filing of BEN-1 has also been allowed accordingly. (General Circular No.10/2019 dated 24.09.2019).

(3) During the month of September 2019, seven new antitrust cases were filed before the Commission while four cases were closed under section 26(6) of the Competition act, 2002 ("Act"). With regard to combination notices, nine new notices were received by the Commission and nine combination notices were disposed of.

(4) The Commission took suo moto cognizance in the matter of Cartelisation in the supply of Electric Power Steering System (EPS System) and imposed a penalty of Rs. 17.39 crore on JTEKT Corporation, Japan.

(5) The Commission Organized 6th monthly lecture under "Special Lecture Series (SLS)"on 6th September, 2019 on the topic "Aviation Sector in general and Jet Airways Saga in particular" at Commission's office.

(6) The Commission approved the acquisition of 70% shareholding in Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) by Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco), under Section 31(1) of the Act.

(7) A delegation led by Chairperson of the Commission, participated in 6th BRICS International Competition Conference 2019 held at Moscow, Russia and took sessions on

'Competition issues in the BRICS Digital Markets' and competition issues in the BRICS Pharmaceutical Markets'.

(8) An eight member 'Committee of Experts' headed by IBBI chairman, Shri M.S. Sahoo has been constituted to examine the need for an institutional framework for regulation and development of valuation professionals. The Committee would examine the regulatory architecture, including the extent of self-regulation and statutory regulation, governance of the regulatory institutions, monitoring of the conduct and performance of valuers and disciplinary mechanism. The Committee will also look at a mechanism for development of a cadre of valuers, including the current practitioners and freshers who wish to have a career in valuation profession, other aspects such as provision of valuation services, including market structure, valuation standards. (Copy of order, constituting the said committee is enclosed).

(9) Based on Supreme Court oder in S. Sukumar versus ICAI, government constituted a Committee of Experts (CoE) to look into the issues identified by the Apex Court with respect to functioning of audit firms affiliated with international networks. The CoE has since submitted its report, which has been examined. Based on that, government has filed an affidavit in the court on the subject matter.

(10) Based on the recommendations of High Level Committee constituted under Meenakshi Datta Ghosh to review the disciplinary mechanism in three professional institutes as also other provisions of the three Acts governing them, stakeholders consultations were held with the representatives of the 3 institutes, including government nominees on the respective councils. Accordingly, suitable amendments in the Acts and Rules of the 3 professional institutes of chartered accountants, company secretaries and cost accountants, are being processed.

(11) Investor Education and Protection Fund Authority (IEPFA) organised the first State-level conference in association with ICAI on Investor Education and Awareness at Bhubaneswar, Odisha on Sept.10, 2019. It was attended by more than 700 representatives from Panchayats, CSC and NYKS volunteers, Central and State Government Officials.

Secretary, Ministry of Corporate Affairs and Chairman IEPFA, Shri Asit Kumar Tripathy, Chief Secretary and Chief Development Commissioner, Govt. of Odisha. Shri Madhusudan Padhi, Principal Secretary to Hon'ble Governor of Odisha, addressed the delegates. The conference was spread over two technical sessions wherein eminent panelists deliberated on subjects like Investor Awareness & Protection in India and Global Experiences, Wealth creation over long term, IEPF procedures and grievance redressal mechanism, financial inclusion through financial literacy, etc.

(12) Since beginning till 30.09.2019, more than 45000 Investor Awareness Programs have been conducted by IEPFA covering 21,31,377 persons across 473 districts.

(13) After notification of Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Second Amendment Rules,2019, the verification and settlement of IEPF claims has become completely online with effect from 20.09.2019. With the process becoming digital, the investors would get expeditious refund of unclaimed dividends, deposits and underlying shares. The claimants of unclaimed amounts and shares will file online claims with IEPF authority, which would in turn be verified online by the concerned companies which have transferred the shares and amounts to the authority. Once verified online, the unclaimed amounts and shares would be refunded to the investors. In the process, there would be no manual interface of the claimants with the officers and staff of the authority.

सं. सीडीएन-27011/2/2019-सीडीएन-एमसीए

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

5वां तल, ए विंग, शास्त्री भवन,

डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली-110001

तारीखः .10.2019

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के सितंबर, 2019 माह के मासिक सार की प्रति सूचना हेतु संलग्न है।

(हेमंत वर्मा)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाषः 23381349

सेवा में,

मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य

प्रतिलिपि, संलग्नक सहित, निम्नलिखित को अग्रेषित-

1. निदेशक, कैबिनेट सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
2. भारत सरकार के सभी सचिव
3. सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
4. अपर सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
5. निदेशक (एनआईसी) - एमसीए की आधिकारिक वेबसाइट पर इसे अपलोड करने के संबंध में।

<u>कारपोरेट कार्य मंत्रालय</u>

सितंबर, 2019 माह के दौरान किए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और प्रमुख उपलब्धियां

1. अधिसूचनाएं:-

(i) एनएफआरए नियम, 2018 के नियम 5 के अनुसरण में, एनएफआरए के क्षेत्राधिकार के भीतर कंपनियों/कारपोरेट निकायों के प्रत्येक लेखापरीक्षक को प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को अथवा इससे पूर्व ऐसे प्ररूप में जैसाकि केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, एनएफआरए के समक्ष एक विवरणी फाइल करना अपेक्षित है। एनएफआरए (संशोधन) नियम, 2019 के माध्यम से, इस नियम को यह व्यवस्था करने के लिए दिनांक 05 सितंबर, 2019 को संशोधित कर दिया गया है कि उक्त वार्षिक विवरणी प्रत्येक वर्ष के 30 नवंबर से पूर्व फाइल की जाएगी। वार्षिक विवरणी का प्ररूप (प्ररूप एनएफआरए-2) जिससे विस्तृत परामर्श (एनएफआरए सहित) के पश्चात् तैयार किया गया था, को भी ऐसे संशोधन नियमों के माध्यम से अधिसूचित कर दिया गया है। ये परिवर्तन एनएफआरए को अपने क्षेत्राधिकार के भीतर कवर की गई कंपनियों के लेखापरीक्षकों के बारे में सभी संगत सूचना रखना सुनिश्चित करेंगे (अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 636(अ) दिनांक 05.09.2019)।

(ii) कानून का पालन करने वाले कारपोरेट के लिए व्यवसाय करने में सुगमता प्रदान करके, बृहद रूप से हितधारकों के लिए संवर्धित कारपोरेट अनुपालन को बढ़ावा देकर, देश में कारपोरेट के कार्यकरण पर प्रभाव डालने वाले उभरते हुए मुद्दों का समाधान करते हुए भी देश में व्यवसाय की सुगमता को बढ़ावा देने के सरकार के उद्देश्य के अनुरूप, कंपनी अधिनियम, 2013 और सीमित उत्तरदायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न प्रावधानों और अन्य संबंधित मुद्दों पर सरकार को सिफारिश देने के लिए दिनांक 18.09.2019 के आदेश के जरिए एक कंपनी विधि समिति गठित की गई थी। इस समिति के गठन का आदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उक्त समिति की प्रथम बैठक दिनांक 26.09.2019 को संपन्न हुई थी।

(iii) कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 को दिनांक 31.03.2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्ररूप डीआईआर- 3 केवाईसी अथवा डीआईआर-3 केवाईसी वेब फाइल करने के लिए व्यक्तियों/निदेशकों के लिए 14 अक्तूबर, 2019 तक और आगे समय प्रदान करने के लिए दिनांक 30.09.2019 को संशोधित कर दिया गया है (अधिसूचना दिनांक 30.09.2019)।

(iv) कंपनी (रजिस्ट्रेकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 को 31.03.2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्ररूप डीआईआर- 3 केवाईसी अथवा डीआईआर-3 केवाईसी वेब फाइल करने के लिए व्यक्तियों/निदेशकों के लिए 14 अक्तूबर, 2019 तक और आगे समय प्रदान करने के लिए दिनांक 30.09.2019 को संशोधित कर दिया गया है (अधिसूचना दिनांक 30.09.2019)

(2) **परिपत्र :-**

दिनांक 24.09.2019 के सामान्य परिपत्र के माध्यम से, मंत्रालय ने बिना अतिरिक्त फीस के बीईएन-2 फाइल करने के लिए हितधारकों को 31 दिसंबर, 2019 तक अतिरिक्त अवधि की अनुमति भी प्रदान कर दी है। तदनुसार, बीईएन-1 की फाइलिंग के लिए उत्तरवर्ती अतिरिक्त अवधि की अनुमति भी दे दी गई है (सामान्य परिपत्र सं. 10/2019 दिनांक 24.09.2019)।

(3) सितंबर, 2019 माह के दौरान, सात नए न्यासी विरोधी मामले आयोग के समक्ष फाइल किए गए थे, जबकि चार मामले प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 ("अधिनियम") की धारा 26(6) के अधीन बंद कर दिए गए थे। संयोजन संबंधी नोटिसों के संबंध में, आयोग को नौ नए नोटिस प्राप्त हुए थे और नौ संयोजन संबंधी नोटिसों का निपटान कर दिया गया था।

(4) आयोग ने इलेक्ट्रिक पॉवर स्टेरिंग सिस्टम (ईपीएस सिस्टम) की आपूर्ति में व्यवसायी समूहन के मामले में अपनी ओर से संज्ञान लिया था और जेटीईकेटी कारपोरेशन, जापान पर 17.49 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था।

(5) आयोग ने दिनांक 06 सितंबर, 2019 को "सामान्य रूप से उड्डयन क्षेत्र में तथा विशेष रूप से जेट एयरवेज सागा" विषय पर आयोग के कार्यालय में "विशेष व्याख्यान श्रृखंला (एसएलएस)" के अंतर्गत छठा मासिक व्याख्यान आयोजित किया था।

(6) आयोग ने इस अधिनियम की धारा 31(1) के अधीन सऊदी अरेबियन ऑयल कंपनी (सऊदी अरामको) द्वारा सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीजिज़ कारपोरेशन (एसएबीआईसी) में 70% शेयर धारिता के अधिग्रहण को अनुमोदित किया।

(7) आयोग के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने मास्को, रूस में संपन्न छठे ब्रिक्स इंटरनेशनल कंपीटिशन कांफ्रेंस-2019 में भाग लिया था और 'ब्रिक्स डिजिटल मार्केट्स संबंधी प्रतिस्पर्धा मुद्दों' और ब्रिक्स फार्मास्यूटिकल मार्केट्स' में प्रतिस्पर्धा मुद्दों पर सत्रों में भाग लिया था।

(8) आईबीबीआई अध्यक्ष, श्री एम.एस. साहू के नेतृत्व में मूल्यांकन वृत्तिकों के विनियमन और विकास के लिए एक संस्थागत रूपरेखा की आवश्यकता की जांच करने के लिए एक आठ सदस्यी 'विशेषज्ञ समिति' गठित की गई है। यह समिति स्व-विनियमन और सांविधिक विनियमन की सीमा सहित नियामक संरचना, नियामक संस्थानों का प्रशासन, मूल्यांकनकर्ताओं के आचरण और कार्य-निष्पादन तथा अनुशासनात्मक तंत्र, की निगरानी की जांच करेगी। यह समिति वर्तमान वृत्तिकों और नए वृत्तिकों जो मूल्यांकन व्यवसाय में अपना कैरियर बनाने के इच्छुक हैं, सहित मूल्यांकनकर्ताओं के संवर्ग के विकास हेतु तंत्र अन्य पहलू जैसे बाजार संरचना, मूल्यांकन मानकों सहित मूल्यांकन सेवाओं के प्रावधान की भी जांच करेगी (उक्त समिति के गठन संबंधी आदेश की प्रति संलग्न है)।

(9) एस. सुकुमार बनाम आईसीएआई के मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेश के आधार पर, सरकार ने अंतरर्राष्ट्रीय नेटवर्कों के साथ संबद्ध लेखापरीक्षा फर्मों में कार्यकरण के संबंध में शीर्षस्थ न्यायालय द्वारा अभिज्ञात किए गए मुद्दों की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति (सीओई) गठित की। चूंकि इस विशेषज्ञों समिति के अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसकी जांच कर ली गई है। इसके आधार पर, सरकार ने इस विषय पर न्यायालय में एक शपथपत्र फाइल कर दिया है।

(10) तीन वृत्तिक संस्थानों में अनुशासनात्मक तंत्र तथा उन्हें प्रशासित करने वाले तीन अधिनियमों के प्राधावनों की समीक्षा करने के लिए मीनाक्षी दत्ता घोष की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर, संबंधित परिषदों में सरकारी नामितियों सहित तीनों संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ हितधारक परामर्श संपन्न किए गए थे। तदनुसार, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, कंपनी सचिवों तथा लागत लेखाकारों के तीन वृत्तिक संस्थानों के अधिनियमों और नियमों में उपयुक्त संशोधन प्रक्रियाधीन हैं।

(11) विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए) ने 10 सितंबर, 2019 को भुवनेश्वर, ओडिशा में विनिधानकर्ता शिक्षा और जागरूकता पर आईसीएआई के सहयोग से प्रथम राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया था। इसमें पंचायतों, सीएससी और एनवाईकेएस स्वयं सेवकों, केंद्रीय तथा राज्य सरकार कार्मिकों के 700 प्रतिनिधियों से अधिक ने भाग लिया था। सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय और अध्यक्ष आईईपीएफए, श्री असित कुमार त्रिपाठी, मुख्य सचिव और मुख्य विकास आयुक्त, ओडिशा सरकार, श्री मधुसूदन पाढ़ी, माननीय राज्यपाल, ओडिशा के प्रधान सचिव ने प्रतिनिधियों को संबोधित किया। इस सम्मेलन के दो तकनीकी सत्र थे जिनमें प्रसिद्ध पैनल सदस्यों ने भारत में विनिधानकर्ता जागरूकता तथा संरक्षण और वैश्विक

अनुभव, दीर्घकालीन संपदा सृजन, आईईपीएफ प्रणालियां और शिकायत निवारण तंत्र, वित्तीय साक्षरता इत्यादि के माध्यम से वित्तीय समावेशन जैसे विषयों पर विमर्श किया था।

(12) प्रारंभ से 30.09.2019 तक, 473 जिलों के 21,31,377 व्यक्तियों को कवर करते हुए आईईपीएफए द्वारा 45000 से अधिक विनिधानकर्ता जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए गए हैं।

(13) विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) द्वितीय संशोधन नियम, 2019 की अधिसूचना के पश्चात्, आईईपीएफए का सत्यापन और निपटान दिनांक 20.09.2019 से पूर्णतः ऑनलाइन हो गया है। प्रक्रिया के डिजिटल होने के साथ, निवेशकों को अदावाकृत लांभाशों, जमाओं और मौलिक शेयरों का त्वरित प्रतिदाय प्राप्त होगा। अदावाकृत धनराशि और शेयरों के दावेदार आईईपीएफ प्राधिकरण में ऑनलाइन दावे फाइल करेंगे, जिसे बाद में जिन्होंने शेयर और धनराशि प्राधिकरण को अंतरित करने वाली संबंधित कंपनियों द्वारा ऑनलाइन सत्यापित किया जाएगा। एक बार ऑनलाइन सत्यापित होने के पश्चात्, अदावाकृत धनराशिं और शेयर निवेशकों की धन वापस किया जाएगा। इस प्रक्रिया में, प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों का दावाकर्ताओं के साथ कोई मैनुअल इंटरफेस नहीं होगा।